राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024 / 173
राजस्व वाद संख्या–23 / 2024
दायर दिनांक– 23.08.2024
निर्णय दिनांक– 22.08.2025

उनवानी–

1. किशोर पुत्र कैलाश
2. रतनी पत्नि कैलाश
3. टींकू पुत्र जीवण
4. नाथू पुत्र जीवण
5. बनवारी पुत्र जीवण
6. धापू पत्नि जीवण
7. सार्दुल पुत्र मिश्री
8. संतोष देवी पत्नि महादेव
9. कमला पत्नि विश्राम

   सर्वजाति बावरी सर्वनिवासी ग्राम सींगला तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरचंद पुत्र हरजी जाति जाट
2. केका देवी पुत्री हरजी जाति जाट
3. घासी पुत्र हरजी जाति जाट
4. जसोदा देवी पुत्री हरजी जाति जाट
5. नोसर देवी पुत्री हरजी जाति जाट
6. रूपा देवी पुत्री हरजी जाति जाट
7. लाडा देवी पुत्री हरजी जाति जाट
8. कानाराम पुत्र भोलू जाति जाट
9. नाबा0 पांचू पुत्र भोलू जरिये संरक्षक माता मांगी पत्नि भोलू
10. मंगलाराम पुत्र भोलू जाति जाट
11. मांगी पत्नि भोलू जाति जाट
12. रामेश्वर पुत्र भोलू जाति जाट
13. विश्राम पुत्र भोलू जाति जाट
14. कैलाश पुत्र रिद्धकरण जाति बावरी
15. किशोर पुत्र रिद्धकरण जाति बावरी
16. प्रहलाद पुत्र रिद्धकरण जाति बावरी
17. विमला पुत्री रिद्धकरण जाति बावरी
18. सुन्दर पत्नि रामनाथ जाति बावरी
19. नारूराम पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर
20. प्रधान पुत्र सरदार जाति गुर्जर
21. मनोहर पुत्र दीपचन्द जाति गुर्जर
22. हरदेव पुत्र चन्द्रा जाति गुर्जर
23. रामस्वरूप पुत्र प्रभू जाति बावरी
24. बीरबल पुत्र प्रभु जाति बावरी
25. कमला पत्नि प्रभु जाति बावरी
26. सेठ्या पुत्री प्रभु जाति बावरी
27. मन्जू पुत्री प्रभु जाति बावरी

    सर्वनिवासी ग्राम रिंगला तहसील रूपनगढ़

28. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी

–निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम सींगला पटवार हल्का सींगला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 280/91 क्षेत्रफल 2.5888 है0 भूमि संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा मौके पर प्रार्थीगण कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की वाद वर्णित कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि से लगी हुई पश्चिम दिशा की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की भूमि, दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 14 लगायत 19 की भूमि, पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 20 लगायत 28 की भूमि एवं उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 28 की भूमि लगी हुई है। इसलिये पक्षकार के रूप में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 27 के द्वारा आये दिन अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते है एवं लड़ाई–झगड़ा करते है तथा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की नींव सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किये गये तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 27 तक के द्वारा आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 27 के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक हैं अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी जब 30.07.2024 को अपने खेत की देखरेख करने व निराई–गुड़ाई करने गये जब अप्रार्थी संख्या 1 से 27 ने गाली गलोच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि ब्लात कब्जा करने की धमकी दी और कहा तुझे खेती करने का अधिकार नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हआ है। अप्रार्थी संख्या 28 को भूमिधारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौक करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 27 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी एवं जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 28 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सींगला के ख0न0 280/91 क्षेत्रफल 2.5888 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)